झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014

(सभा द्वारा यथापारित)

विषय–सूची

धाराएँ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।

2. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम–05, 2006) की धारा–52 में संशोधन।

3. धारा– 53 में संशोधन।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 05 (झारखण्ड अधिनियम, 05, 2006) में संशोधन हेतु विधेयक।

एतद् द्वारा भारतीय गणतंत्र को पैंसठवें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ–

(i)यह अधिनियम झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जायेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

2. धारा 52 में संशोधन –

धारा 52 की उपधारा (2) के पश्चात कंडिका (i), कंडिका (ii) एवं कंडिका(iii) सहित एक नयी उपधारा (3) निम्नवत् जोड़ी जाएगीः–

(3)(i) जहाँ किसी अवधि या अनुवर्ती अवधि के लिए देय कर विरूद्ध समंजन हेतु किसी वित्तीय वर्ष के लिए कोई अधिकाई इनपुट टैक्स क्रेडिट अग्रेणित की जाती है एवं ऐसे क्रेडिट या उसका कोई भाग वर्ष के अंत से किसी कर अवधि जिसके लिए अधिकाई इनपुट टैक्स क्रेडिट की विवरणी 24 महीनों के पश्चात् भी असमंजित रह जाता है, तो व्यवसायी कर–निर्धारण, पुर्नकर–निर्धारण या ऑडिट कर–निर्धारण के पश्चात् ऐसे अधिकाई इनुपट टैक्स क्रेडिट की राशि की कर–वापसी हेतु विकल्प दे सकता है

(3)(ii) जहाँ व्यवसायी उपधारा (3)(i) के अन्तर्गत कर–वापसी हेतु विकल्प देता है वह समय–सीमा के भीतर एवं विहित तरीके से विहित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन समर्पित करेगा।

(3)(iii) इस उपधारा के अन्तर्गत कर–वापसी विहित तरीके एवं विहित शर्तों एवं बंधेज के साथ स्वीकृत किए जाएंगे।

3. धारा 53 में संशोधन–

धारा 53 की उपधारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा–

(1) यदि किसी निबंधित व्यवसायी ने इस अधिनियम के अधीन यथापेक्षित विवरणी प्रस्तुत कर दी है और विवरणी में शून्य कर दर बिक्री के कारण व्यवसायी को कोई राशि कर–वापसी की जानी है या भारत की सीमा से निर्यात करने के दौरान हुए बिक्रय में व्यवसायी को प्रतिदेय कोई राशि दर्शाई गई है या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1986 की धारा 6(A) के अन्तर्गत पड़ने वाले बिक्रियों के अलावे केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत राज्य के बाहर बिक्री की गयी हो या मालों को हस्तांतरण किया गया हो तो व्यवसायी दावे और अनुवर्ती निर्धारण की सत्यता साबित करने के लिए लंबित कर–निर्धारण, लेखा परीक्षा और जॉच पड़ताल किए जाने तक, अनन्तिम कर वापसी के लिए विहित प्रारूप में एवं विहित प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

यह विधेयक झारखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 दिनांक 06 अगस्त, 2014 को झारखण्ड विधान सभा में उदभूत हुआ और दिनांक 06 अगस्त, 2014 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(शशांक शेखर भोक्ता)

अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 44–50–19–8–2014 ।